



अत्यधिक हीट वेव एवं शमन प्रक्रया

यह एडिटोरियल 18/04/2023 को 'द हिंदू' में प्रकाशित "Dealing with extreme heat" लेख पर आधारित है। इसमें ग्रीष्म लहर की समस्या के व्यापक अवलोकन की आवश्यकता की गई है और नीतिनिरिमाताओं के लिये विभिन्न स्तरों पर शमन रणनीतियों का सुझाव दिया गया है।


संदर्भ

पछिले कुछ वर्षों से ग्रीष्मकाल में **ग्रीष्म लहर (Heat Wave)** का प्रकोप देश में उग्रता और मृत्यु दर को बढ़ावा दे रहा है। ग्रीष्म लहर भारत में आपदा प्रबंधन के लिये एक बढ़ती हुई चिंता का विषय है, जिससे व्यापक स्तर पर स्वास्थ्य एवं प्र्यावरण संबंधी प्रभाव उत्पन्न हो रहा है।

- वैश्विक स्तर पर चरम मौसमी घटनाओं (Extreme Weather Events) की आवृत्ति बढ़ती जा रही है, जिसके प्रतिस्पृशमुदायों को जागरूक करने और इनसे निपटने में सक्षम बनाने की आवश्यकता है।
- खतरनाक न्यूनीकरण या शमन (Hazard Mitigation) के दृष्टिकोण से, ग्रीष्म लहर से होने वाली मौतों की बढ़ती संख्या को खतरे के संकेत के रूप में देखा जाना चाहयि और इन ग्रीष्मकालीन क्षतियों पर नियंत्रण के लिये नवोन्मेषी उपाय किये जाने चाहयि।

ग्रीष्म लहर क्या है?

- खतरा या संकट उत्पन्न करने वाले एक आपदा प्रदृश्य के रूप में ग्रीष्म लहर उच्च गरमी या ताप दशा (High Heat Conditions) की भौतिकी घटना में विस्तार की स्थिति है और इसे सामाजिक, व्यावसायिक एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिमों के साथ जलीय-जलवायु जोखिमों (Hydro-climatic Risks) के एक समुच्चय के रूप में देखा जाता है।
- परभाषा:**
 - ग्रीष्म लहर की कोई सार्वभौमिक परभाषा नहीं दी गई है।
 - इसे आमतौर पर अत्यधिक गरमी की एक सुदीर्घ अवधि (Prolonged Period Of Excessive Heat) के रूप में परभाषित किया जाता है।
- भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) का मानदंड:**
 - जब तक किसी स्थान का अधिकतम तापमान, मैदानी इलाकों में कम-से-कम 40 डिग्री सेल्सियस और पहाड़ी क्षेत्रों में कम-से-कम 30 डिग्री सेल्सियस तक नहीं पहुँच जाता, तब तक इसे ग्रीष्म लहर की स्थिति नहीं मानी जाती।
 - यदि किसी स्थान का सामान्य अधिकतम तापमान 40°C से कम या इसके बराबर होता है, तो सामान्य तापमान से 5°C से 6°C की वृद्धिको ग्रीष्म लहर की दशा माना जाता है।
 - इसके अलावा, सामान्य तापमान से 7 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक की वृद्धिको गंभीर ग्रीष्म लहर (Severe Heat Wave) की दशा माना जाता है।
 - यदि किसी स्थान का सामान्य अधिकतम तापमान 40°C से अधिक होता है, तो सामान्य तापमान से 4°C से 5°C की वृद्धिको ग्रीष्म लहर की दशा माना जाता है। इसके अलावा, 6 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक की वृद्धिको गंभीर ग्रीष्म लहर की दशा माना जाता है।
 - इसके अतिरिक्त, यदि सामान्य अधिकतम तापमान से बिल्ग वास्तविक अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक हो जाता है, तो इसे ग्रीष्म लहर घोषित किया जाता है।



ग्रीष्म लहर कसि हद तक एक समस्या है?

- **हीट स्ट्रेस (Heat Stress):**
 - अप्रैल और मई 2022 के बीच 350 मलियन भारतीय भीषण हीट स्ट्रेस की चपेट में आए थे।
- **तापमान उङ्गान:**
 - वर्ष 1990 से 2019 के बीच पंजाब, हरयाणा, उत्तर प्रदेश, बहिर और राजस्थान के कई ज़िलों में ग्रीष्मकालीन तापमान में 0.5-0.9 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि देखी गई।
 - भारत के 54% ज़िलों में शीतकालीन तापमान में सदृश वृद्धि देखी गई है।
 - वर्ष 2021 से 2050 के बीच देश के 100 ज़िलों में अधिकतम तापमान 2 से 3.5 डिग्री सेल्सियस और लगभग 455 ज़िलों में 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने की उम्मीद है।
- **'अरबन हीट आइलैंड' प्रभाव:**
 - बढ़ते तापमान से 'अरबन हीट आइलैंड' प्रभाव (Urban Heat Island Effect) उत्पन्न होता है जहाँ ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों 4-12 डिग्री सेल्सियस अधिक तापमान देखा जाता है।
- जलवायु परविरतन स्थानीय मौसम पैटर्न को बिगड़ा देता है, जिससे मौसम परविरतनीयता (weather variability) उत्पन्न होती है और कृषि में क्षति की स्थिति बिनती है।

ग्रीष्म लहर के प्रमुख कारण

- **वरिल पूर्व-मानसून वर्षा:**
 - कई क्षेत्रों में नमी की कमी भारत के बड़े हिस्से को सूखाग्रस्त और शुष्क बना रही है।
 - पूर्व-मानसून वर्षा के अप्रत्याशित अंत (जो भारत के लिये एक असामान्य प्रवृत्ति है) ने ग्रीष्म लहरों में योगदान दिया है।
- **अल नीनो प्रभाव:**
 - अल नीनो (El Nino) प्रभाव: एशिया में तापमान को बढ़ाता है जो मौसम पैटर्न के साथ संयुक्त होकर रकिंग उच्च तापमान का सृजन करता है।
 - दक्षिण अमेरिका से आने वाली व्यापारकि पवर्ने (Trade Winds) सामान्यतः दक्षिण-पश्चिम मानसून (Southwest Monsoon) के दौरान पश्चिम दिशा में एशिया की ओर बहती हैं और प्रशांत महासागर के ग्रम होने से ये पवर्ने कमज़ोर हो जाती हैं।
 - इस प्रकार, नमी एवं ऊष्मा की मात्रा सीमित हो जाती है और इसके परणामस्वरूप भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा में कमी एवं उनके असमान वितरण की स्थिति बिनती है।

ग्रीष्म लहर के प्रमुख प्रभाव

- **स्वास्थ्य प्रभाव:**
 - **हीट रेश (Heat rash):**
 - इसे तवचा के गुलाबी होने के साथ 'सनबर्न' घटना (sunburn phenomenon) के रूप में भी जाना जाता है जिसके परणामस्वरूप तवचा में जलन और पीड़ा का अनुभव होता है।

- **हीट सकिंप (Heat syncope):**
 - चक्कर आना (Giddiness), वर्टिगो सरिदरद (vertigo headach) और अचानक शुरू होने वाली तंद्रा या बेहोशी।
 - **हीट क्रैम्प्स (Heat Cramps):**
 - एडमि (सूजन) और सकिंप (बेहोशी) के साथ ही आमतौर पर 39 डिग्री सेलसियस (102 डिग्री फारेनहाइट) से कम बुखार।
 - **गरमी संबंधी थकावट (Heat Exhaustion):**
 - थकान, कमज़ोरी, चक्कर आना, सरिदरद, मतली, उल्टी, मांसपेशयों में ऐंठन और पसीना आना।
 - **हीट स्ट्रोक (Heat Stroke):**
 - उन्माद (delirium), दौरा पड़ने या कोमा में जाने के साथ शरीर का तापमान 40°C (104°F) या इससे अधिक होना। यह एक संभावित प्राणघातक स्थिति है।
- **शरम और उत्पादकता पर प्रभाव:**
- हीट एक्सपोजर (Heat exposure) से भारी कार्य से संलग्न शरमकिं के लिये प्रतिवर्ष प्रतिश्वरमकि 162 कार्य-घंटे की हानिहोती है, जिससे उत्पादकता प्रभावित होती है।
 - अनुमान है कि भारत के लगभग 50% कार्यबल (जिसमें सीमांत कसिन, नरिमाण शरमकि और स्ट्रीट वैडर्स आदिशासलि हैं) को उनके कार्य घंटों के दौरान हीट एक्सपोजर का सामना करना पड़ता है।
- **कृषि कषेत्र पर प्रभाव:** तापमान के आवधा सीमा से अधिक होने पर फसल की पैदावार प्रभावित होती है।
- हरयाणा, पंजाब और उत्तर परदेश के कसिनों ने पछिले रबी मौसम में अपनी गेहूँ की फसल में कृष्टिहोने की सूचना दी है।
 - पशुधन भी ग्रीष्म लहर की चपेट में आते हैं।
- **खाद्य असुरक्षा:**
- अधिक ताप और सूखे की घटनाओं के मेल से फसल उत्पादन का नुकसान हो रहा है और वृक्ष सूख रहे हैं।
 - गरमी-प्रेरति शरम उत्पादकता की हानि से खाद्य उत्पादन हानियों में अचानक वृद्धि से स्वास्थ्य और खाद्य उत्पादन के समक्ष विद्यमान जोखमि और अधिक गंभीर हो जाएँगे।
 - इन अंतःक्रयात्मक प्रभावों से खाद्य कीमतों में वृद्धि होगी, घरेलू आय में कमी आएगी और कुपोषण एवं जलवायु संबंधी मौतों के मामले में वृद्धि होगी (वशिष्ठकर उष्णकट्टिधीय कषेत्रों में)।
- **ऊरजा मांग पर प्रभाव:**
- बढ़ी हुई गरमी के कारण औसत दैनिक 'पीक डमिंड' बढ़ जाती है।

शमन रणनीतियाँ (Urban Greening) क्या होनी चाहिए?

- **शहरी हरयाली (Urban Greening):**
 - हरति और अधिक पारगम्य शहरी सतहें शहरी गरमी को कम करने में मदद कर सकती हैं।
 - टीयर 2 और टीयर 3 शहरों के लिये विकास योजनाएँ शहरी वनों के घनत्व एवं कषेत्र का वसितार करने के लिये एक अधिदिश स्थापति कर सकती हैं।
 - शहरी कृषेत्रों में प्राकृतिक परदृश्य, जैसे पेड़, पारक और वनस्पति का विकास शीतलन में मदद कर सकता है।
- **आधारभूत संरचनाएँ:**
 - नागरिक अवसंरचना और आवासीय नरिमाण में पारगम्य सामग्रयों का अधिक उपयोग अरबन हीट आइलैंड प्रभाव को कम कर सकता है।
 - बायोगैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस जैसे स्वच्छ रसोई ईंधन को प्रोत्साहित करने से इनडोर वायु प्रदूषण और अरबन हीट में कमी आएगी।
 - सारवजनिक परविहन में सुधार और नजी वाहन के उपयोग को कम करने से चरम ग्रीष्म लहरों को कम करने में मदद मिल सकती है।
- **अपशिष्ट प्रबंधन:**
 - लैंडफलि के आकार को कम करने, अपशिष्ट पृथक्करण और स्रोत पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से मीथेन उत्पादन एवं आगजनी को कम किया जा सकता है जो अरबन हीट को बढ़ाते हैं।
- **नीतियाँ और दशिनरिदेश:**
 - मौसम परवित्तनीयता और शहरी ताप प्रबंधन पर विभिन्न सूतरों पर नीतियों एवं दशिनरिदेशों की आवश्यकता है।
 - आरदरभूतियों का वसितार करने और तालाबों एवं झीलों के जीर्णोदधार से भी मदद मिल सकती है।
- **भवन डिजाइन:**
 - भवनों में हरति छतों (Green Roofs) और ठंडी छतों (cool roofs) के उपयोग को बढ़ावा देना, वातायन/वेंटिलेशन बढ़ाना और हरति स्थानों का नरिमाण करना।
 - प्राकृतिक वेंटिलेशन, शेडगि और थरमल इनसुलेशन जैसी नविकरण शीतलन तकनीकें भी इनडोर तापमान और ऊरजा खपत को प्रयाप्त कम कर सकती हैं।
 - इमारतों में हाई-अलबड़ि छतों और पैवर्मेंट भी सहायक सदिध होंगे।
- **नवीकरणीय ऊरजा:**
 - शीतलन और बजिली की ज़रूरतों के लिये सौर एवं पवन ऊरजा जैसे नवीकरणीय ऊरजा स्रोतों के उपयोग को बढ़ावा दिया जा सकता है।
- **जन जागरण:**
 - जनता को ग्रीष्म लहर के जोखमिं, शीतल रहने के उपायों और कार्बन फुटप्रिटि को कम करने के महत्व के बारे में शक्षिति किया जाना चाहिए।
- **कृषि अनुकूलन:**
 - कृषकों को प्रत्यास्थी खेती अभ्यासों के साथ समर्थन देना जो ग्रीष्म लहर, सूखे और जल की कमी के जोखमिं को संबोधति करते हैं।
 - फसल विधिकरण, कृषि-विवानकी, पलवार करना (Mulching), फसल चक्रण, कवर करॉपगि, डरपि सचाई और स्प्रिंकिलर सिस्टम

सहायक सदिध हो सकते हैं।

■ आपदा प्रबंधन:

- गरीष्म लहर के लिये आपातकालीन प्रतक्रिया योजना विकासित करना आवश्यक है, जिसमें शीत आश्रय (cool shelters) और प्रथापृष्ठ चकितिसा सुविधाएँ प्रदान करना शामिल है।
- अल्पावधि में आवश्यक कदम:
 - एक प्रभावी पूर्व चेतावनी प्रणाली स्थापित करना आवश्यक है जो जोखिम रखने वाले लोगों को समयबद्ध और सटीक जानकारी प्रदान कर सके।
 - इस प्रणाली को सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं और स्थानीय सरकारों के साथ एकीकृत किया जाना चाहिये और गरीष्म लहर पर प्रतक्रिया में संसाधनों को तेजी से जुटाने में सक्षम होना चाहिये।
- दीर्घावधि में आवश्यक कदम:
 - भारतीयों को अत्यधिक गरमी के अनुकूल बनाने में मदद करने के लिये संरचनात्मक अवसंरचना उपायों की आवश्यकता है।

■ हरति परविहन:

- वाहन उत्सर्जन और यातायात भीड़ को कम करने के लिये सार्वजनिक परविहन एवं साइकलिंग के उपयोग को प्रोत्साहित करना।
- साइकलि, इलेक्ट्रिक वाहन आदि सहायक हो सकते हैं।

गरीष्म लहर के संबंध में प्रमुख सरकारी पहलें

■ जलवायु परविरतन के लिये राष्ट्रीय कार्ययोजना (National action Plan for Climate Change- NAPCC):

- 8 राष्ट्रीय मशिन NAPCC के मूल का निर्माण करते हैं जो जलवायु परविरतन के विषय में प्रमुख लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये बहुआयामी, दीर्घकालिक और एकीकृत रणनीतियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये हैं-
 - राष्ट्रीय सौर मशिन (National Solar Mission)
 - विकासित ऊर्जा दक्षता के लिये राष्ट्रीय मशिन (National Mission for Enhanced Energy Efficiency)
 - सुस्थिर निवास पर राष्ट्रीय मशिन (National Mission on Sustainable Habitat)
 - राष्ट्रीय जल मशिन (National Water Mission)
 - सुस्थारि हिमालयी पारस्थितिक तंत्र हेतु राष्ट्रीय मशिन (National Mission for Sustaining the Himalayan Ecosystem)
 - हरति भारत हेतु राष्ट्रीय मशिन (National Mission for A Green India)
 - सुस्थारि कृषि हेतु राष्ट्रीय मशिन (National Mission for Sustainable Agriculture)
 - जलवायु परविरतन हेतु रणनीतिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मशिन (National Mission on Strategic Knowledge for Climate Change)

■ इंडिया कलगि एकशन प्लान (ICAP):

- ICAP सभी क्षेत्रों में शीतलन की आवश्यकता को पूरा करने के लिये एक दीर्घकालिक दृष्टिकोण है। वर्ष 2037 तक कूलगि डमिंड को 20-25% और रेफ्रजिरेशन डमिंड को 25-30% तक कम करना इस योजना का लक्ष्य है।

■ NDMA दशिनरिदेश:

- वर्ष 2016 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (National Disaster Management Authority- NDMA) ने गरीष्म लहर के प्रभाव को कम करने के लिये राष्ट्रीय स्तर की प्रमुख रणनीतियाँ तैयार करने के लिये व्यापक दशिनरिदेश जारी किये।

अभ्यास प्रश्न: भारत पर बढ़ते तापमान के प्रभाव की चर्चा करें और समस्या को कम करने के उपायों के सुझाव दें। (150 शब्द)

यूपीएससी सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न (PYQ)

?????????????????????????????

प्रश्न: विश्व के नगरीय आवास में उष्मीय दवीपों के निर्माण के कारणों पर प्रकाश डालिये।